



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64841

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 4370 सन् 2026

प्रियांशु दीक्षित

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

:

आलोक मिश्रा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

:

सी.एस.सी., महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. आज पूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है, इसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. प्रत्यर्थी लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त राज्य/उच्च अधीनस्थ सेवा (पी.सी.एस.) परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक (ए.सी.एफ.)/रैंज वन अधिकारी (आर.एफ.ओ.) सेवा परीक्षा 2025 के लिए 210 पदों की भर्ती हेतु 20.02.2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया था।
3. उपरोक्त के अनुसार, याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन ओटीआर संख्या 873332241258 और आवेदन आईडी संख्या 009141113000854 के माध्यम से अपना आवेदन पंजीकृत कराया और इसे 02.03.2025 को वेबसाइट पर अपलोड किया, जिसे प्रत्यर्थी आयोग द्वारा विधिवत स्वीकार कर लिया गया था। आवेदन पत्र भरते समय गलती से याचिकाकर्ता की जन्मतिथि 10.10.1993 के स्थान पर 28.10.1993 दर्ज कर दी गई थी।
4. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर, याचिकाकर्ता को परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया था। इसके बाद आयोग ने 11.03.2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विसंगतियों और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने के कारणों का उल्लेख किया गया था। इसकी एक प्रति याचिका के संलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता का नाम मद संख्या 11 पर रोल नंबर 0248540 के साथ दिखाई देता है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि "ऑनलाइन आवेदन और मुख्य परीक्षा फॉर्म के साथ संलग्न हाई स्कूल मार्कशीट की तुलना में जन्म तिथि में विसंगति पाई गई है"।

5. उपरोक्त अधिसूचना में आगे कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी त्रुटि का सुधार करवाना चाहता है, तो आवेदन 17.03.2026 को शाम 5:00 बजे तक दाखिल किया जाना चाहिए।

6. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को 11.03.2026 की प्रेस विज्ञप्ति की जानकारी नहीं मिली, इसलिए वह 17.03.2026 तक कोई सुधार आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका, जो 11.03.2026 की अधिसूचना के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि 21.03.2026 को जब याचिकाकर्ता ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रयास किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी गई थी। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने 21.03.2026 को प्रत्यर्थी-आयोग के समक्ष एक शपथपत्र के साथ आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी जन्मतिथि 10.10.1993 बताई थी, लेकिन टाइपिंग त्रुटि के कारण वह 28.10.1993 दिखाई दे रही थी।

7. यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने 21.03.2026 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया था और चूंकि कोई निर्णय नहीं लिया गया है और पीसीएस मुख्य परीक्षा 29.03.2026 को निर्धारित है, इसलिए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर प्रत्यर्थी संख्या 2 को आगामी परीक्षा में याचिकाकर्ता को भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश देने की प्रार्थना की है।

8. यह तर्क दिया गया है कि जैसा कि रिट याचिका के पैराग्राफ-14 में कहा गया है कि प्रत्यर्थी-आयोग ने याचिकाकर्ता के एक बार पंजीकरण (ओटीआर) में सुधार के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और इसलिए, याचिकाकर्ता के ओटीआर फॉर्म में आवश्यक सुधार कर दिया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्मतिथि यानी 10.10.1993 को सही किया गया है, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक-7 के रूप में संलग्न है, याचिकाकर्ता प्रश्नगत परीक्षा में भाग लेने का हकदार है।

9. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ओम ने विज्ञापन के उस विशेष खंड पर भरोसा जताया है जो इस प्रकार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"बैंक में परीक्षा शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि:
24/03/2025"

ऑनलाइन आवेदन में शुल्क समायोजन और सुधार/संशोधन की अंतिम तिथि:
02/04/2025

10. उन्होंने आगे उपरोक्त विज्ञापन में निहित कथनों पर विशेष निर्देशों के रूप में भरोसा जताया, जिसमें यह फिर से कहा गया है कि कट-ऑफ तिथि के बाद सुधार/संशोधन के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। जिसका प्रासंगिक पैराग्राफ इस प्रकार है:-

"(1) अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि / संशोधन तिथि तक ही श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्मतिथि, ई.डब्ल्यू.एस., क्रीमीलेयर, ' नाम व पते का जो दावा किया जाएगा, वही मान्य होगा। अन्तिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा।"

11. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार ओम ने आगे तर्क दिया कि दिनांक 11.03.2026 की उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि उम्मीदवार अपनी अस्वीकृत उम्मीदवारी से असंतुष्ट है, तो वह 17.03.2026 तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष 21.03.2026 को सुधार आवेदन दाखिल किया था।

12. रिट याचिका और उसमें किए गए कथनों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन सुधार आवेदन 21.03.2026 को प्रस्तुत किया था, अर्थात् अंतिम तिथि 17.03.2026 के बाद।

13. इस स्थिति को देखते हुए, न्यायालय का मत है कि चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा समय पर आवश्यक सुधार नहीं किया जा सका, इसलिए वर्तमान रिट में मांगी गई राहत को अस्वीकार किया जा सकता है। याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती।

14. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज की जाती है।**

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 मार्च, 2026

स्वाति

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।